

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Rohtak Year (वर्ष): 2024
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0017 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):
02/09/2024 14:43 hrs
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
1 PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 7
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1 Day (दिन): Monday Date from (दिनांक से): 02/09/2024 Date To (दिनांक तक): 02/09/2024
Time Period (समय अवधि): Pahar 4 Time From (समय से): 10:20 hrs Time To (समय तक): 10:20 hrs
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 02/09/2024 Time (समय): 14:10 hrs
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Date and Time (दिनांक और समय): 02/09/2024 14:19 hrs
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 55 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): ACB Unit Sonipat,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
District (State) (जिला (राज्य)):
6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): जयकर्ण
(b) Father's Name (पिताका नाम): जिले सिंह
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1979 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):



- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.) ID Type (पहचान पत्र का प्रकार) ID Number (पहचान संख्या)

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	रोहणा, KHARKHODA, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	रोहणा, KHARKHODA, SONIPAT, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9812577178

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	IO SI जसवीर			1. थाना खरखौदा, KHARKHODA, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	गौरव वकील			1. खरखौदा सोनीपत, KHARKHODA, SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप केन्द्र सोनीपत श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं जयकर्ण पुत्र जिले सिंह वासी रोहणा थाना खरखौदा जिला सोनीपत का स्थाई निवासी हूँ। मैं प्रोपर्टी डीलर का काम करता हूँ। विजेन्द्र पुत्र श्री राजसिंह ने थाना खरखौदा ने मुकदमा नम्बर 448 दिनांक 10/08/2024 धारा 115/191(2)/191(3)/333/351(2) BNS दर्ज करवाया हुआ है। जिसमें मेरा भी झूठा नाम लिखाया हुआ है और मुझे



गौका पर दिखाया गया है जबकी मे उस दिन अपने किसी काम से दिल्ली गया हुआ था। FIR के अनुसार वारदात मे मेरे नाम की वैगनार कार HR79D0743 प्रयोगकरनी दिखाई गई है। वह कार भी मेरे नाम नहीं है। इस मुकदमे मे पुलिस मेरे भाई कृष्ण को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस केस का I/O SI जसवीर थाना खरखौदा कई बार हमारे घर आ चुका है। दिनांक 30/08/2024 को SI जसवीर अपने किसी जानकार गौरव नाम के वकील को अपने अपने साथ लेकर मेरे घर पर आया था और मेरे को अपनी कार मे बैठकर कहने लगा कि आप इस मुकदमे मे वचे 06 बालको को पेश करवा दो फिर मैं आपके बारे मे सोचूंगा आपको निकाल दूंगा। मैंने कहा आप मेरा नाम निकालने की फीस बताओ तो I/O SI जसवीर ने कहा कि जो आपको ठीक लगे ले आओ व उसके बाद उसके साथी गौरव वकील ने गाडी से निचे उतारकर मेरे को बताया आपको व अन्य वचे 5/6 बालको के नाम 50,000 रुपये मे निकलवा देता हूँ। उसके बाद गौरव ने कहा कि थोड़े बहुत तो आज दे दो उसके बाद मैं व गौरव वकील जसवीर की कार मे जाकर बैठ गये मैंने जसवीर से कहा कि 50,000 कहे है वकील साहब ने तो I/O जसवीर ने कहा कि जा करदे काम ने उसके बाद मैंने कहा कि आज तो पैसे नहीं है लेकिन कुछ खर्चा पानी दे देता हूँ। इस पर I/O जसवीर ने कहा कि ठीक है। उसके बाद मैंने अपने घर से 2000 रुपये लाकर I/O जसवीर को दे दिये और कहा कि 48000 रुपये आपको कल दे दूंगा आप किसी भी टाईम फोन कर देना इस पर I/O जसवीर ने कहा कि मैं आपको फोन नहीं करूंगा आप वकाया पैसे गौरव वकील को दे देना मैंने वकील से चैम्बर पूछा तो गौरव ने कहा कि 05/06 चैम्बर मे बैठता हूँ। इस मुकदमे मे मेरा नाम झूठा फंसाया हुआ है। भए पुलिस अफसर SI जसवीर व उसका साथी गौरव वकील बिचौलिया मेरे खिलाफ दर्ज झूठे मुकदमे से मेरा व 5/6 बालको का नाम निकालने की एवज मे 50,000 रुपये की रिश्त मांग रहे है। जिसमे से 2000 रुपये मे दिनांक 30/08/2024 को दे चुका हूँ। और वकाया 48000 रुपये आज दिये जाने है। इन रिश्त राशि को या तो I/O जसवीर खुद लेगा या अपने साथी गौरव वकील के माध्यम से लेगा। मैं उस भए सरकारी कर्मचारी व उसके साथी को रिश्त के पैसे नहीं देना चाहता हूँ। मेरे व SI जसवीर और उसके साथी गौरव वकील के बीच रिश्त मांगने की जो बातचीत हुई है, उसकी कुछ रिकार्डिंग आपको बाद में पैन ड्राईव मे डालकर पेश कर दूंगा। उस भए सरकारी कर्मचारी SI जसवीर थाना खरखौदा और उसके साथी गौरव वकील के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। हस्ताक्षर-अंग्रेजी जयकर्ण पुत्र श्री जिले सिंह वासी रोहणा थाना खरखौदा जिला (सोनीपत) PH 9812577178 कार्यावाही पुलिस:- आज दिनांक 02.09.2024 को मन निरीक्षक मय निरीक्षक फतेह सिंह मय सहयोगी स्टाफ ESI सहदेव 1629/फरीदाबाद, ASI जगवीर 1114/रेवाडी, EHC अनुप 1686/रोहतक, EHC रामपाल 1235/झज्जर, SI विपेन्द्र 1293/सोनीपत, ASI रेन् 1581/सोनीपत, E/S सुभाष 1118/पानीपत, HC हेमलता 1437/पानीपत, EHC राजेश 1307/पानीपत, EHC अशोक 1467/PPT बासवारी सवारी गाडी सरकारी न0 HR 03GV-9489 व गाडी सरकारी न0 HR 03GV-7962 जिसका चालक E/S सुभाष 1118/पानीपत हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप केन्द्र सोनीपत हूँ। जो जयकर्ण पुत्र श्री जिले सिंह वासी रोहणा थाना खरखौदा ने मेरे सम्मुख उपरोक्त लिखित दरखास्त पेश की और उसकी व आरोपीयान IO/SI जसवीर थाना खरखौदा व गौरव वकील के बीच रिश्त बारे रिकार्डिंग को सुनाया गया। मेरे द्वारा उक्त बारे उच्च अयोग्य को अवगत करवाया गया। जिन्होने उक्त दरखास्त पर शीघ्र कार्यवाही करने बारे निर्देश दिये। जो दरखास्त के लेख में रिकार्डिंग के अवलोकन से मामला सरेदस्त जुर्म 7 PC ACT का घटित होना पाया जाने पर तहरीर हजा अयोग्य अंकित करने के लिये EASI राकेश 877/ सोनीपत के माध्यम से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक भेजी जा रही है, बाद करने दर्ज अभियोग नम्बर पर्चा से सुचित किया जाये और स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार अफसरान वाला व ईलाका मजिस्ट्रेट को भेजी जाए। मन निरीक्षक द्वारा अलग से एक दरखास्त बराये 'नियुक्त' राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र साक्षी व कर्मचारी ई-मेल के माध्यम से पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक मण्डल रोहतक को भेजी गई है। जो बाद होने नियुक्त राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र साक्षी उससे सम्पर्क करके नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी। मन निरीक्षक मय साक्षी मुलाजमान के बर इन्तजार नियुक्त राजपत्रित अधिकारी स्वतन्त्र साक्षी हूँ। अज:- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उप केन्द्र सोनीपत हस्ताक्षर-अंग्रेजी Sachiv Kumar निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र, सोनीपत 02-09-2024 Time: 10:20 AM अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर प्राप्त होने पर मु0न0 17 दिनांक 02.09.2024 धारा 7 P.C Act 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया जाकर कम्प्युटर प्रतिया तैयार कि गई अफसरान वाला को बजरीया स्पेशल मैसेन्जर/मेल दवारा सूचना दी गई व मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार तैयार करके ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को बजरिया स्पेशल मैसेन्जर/मेल भेजी जाएगी। व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर हवाले आरिन्दा बदस्त E/ASI राकेश न0 877/सोनीपत की जाकर खाना अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा



प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक भगत सिंह 560/RR की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Sachiv Rank (पद): I (Inspector)
Kumar

No. (सं.): 1720ggg to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

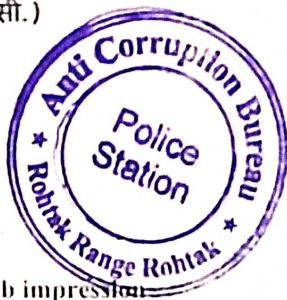
(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)



14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर) Bg msp

Name (नाम): भगत सिंह

Rank (पद): निरीक्षक

No. (सं.): 560/RR

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):